[redacted] **कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,**
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

कमांक 370 / आउशि / नि.का / 2009 भोपाल, दिनांक 04.4.2009

प्रति,

1. **अतिरिक्त संचालक,**
   समस्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषयः–माननीय मंत्री जी के शासकीय दौरे के समय उपलब्ध होने के संबंध में।

–:0:–

माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके जिले में भ्रमण के दौरान विभागीय अधिकारी समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय मंत्री जी के भ्रमंण कार्यकम की सूचना जिलाध्यक्ष अथवा आयुक्त, उच्च शिक्षा के कार्यालय से प्राप्त होने के पश्चात जिला अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय मंत्री महोदया को चर्चा हेतु उपलब्ध होंगे और यदि माननीय मंत्री महोदया का भ्रमण जिला मुख्यालय से अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में है तो संबंधित क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य को माननीय मंत्री महोदया के कार्यकम की सूचना दी जाए ताकि महाविद्यालय के मुख्यालय पर माननीय मंत्री जी का भ्रमण होता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय मंत्री जी से भेंट कर सकें।

वर्तमान में निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावित है, अतः आचार संहिता के प्रभावशील होने तक आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.कमांक 371 / आउशि / नि.का / 2009 भोपाल, दिनांक 04.4.2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश